Estd. 1917

पटना विश्वविद्यालय, पटना
PATNA UNIVERSITY, PATNA

NAAC Accredited B+ Grade

अधिसूचना

वित्त विभाग, बिहार सरकार संकल्प संख्या–3ए–3–भत्ता–01/2022–4550/वि० पटना, दिनांक–14.05.2026 के अलोक में राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को दिनांक– 01.01.2026 के प्रभाव से 58% महंगाई भत्ता के स्थान पर 60% महंगाई भत्ता/राहत के भुगतान की स्वीकृति प्रदान कर चुकी है।

पटना विश्वविद्यालय के शिक्षकों, शिक्षकेत्तर कर्मचारियों, पदाधिकारियों तथा पेंशनरों को दिनांक– 01.01.2026 के प्रभाव से मूल वेतन का 58% मंहागाई भत्ता के स्थान पर 60% वर्द्धित मंहगाई भत्ता/महँगाई राहत, अगस्त 2026 माह के वेतन के साथ भुगतान करने का आदेश दिया जाता है।

साथ ही जनवरी 2026 से जुलाई 2026 तक वर्द्धित महँगाई भत्ता/महँगाई राहत के बकाया अन्तर राशि का भुगतान, राशि उपलब्ध होने के पश्चात् किया जायेगा।

(1) मूल वेतन की गणना बिहार सेवा संहिता के नियम 34 ए० (1) में यथा पारिभाषित के अनुसार की जायेगी। मूल वेतन से भिन्न विशेष वेतन, वैयाक्तिक वेतन इत्यादि पर महँगाई भत्ता देय नहीं होगा।

(2) महँगाई भत्ता की स्वीकृति के कारण भुगतेय राशि में 50 पैसे या उससे अधिक गणना आती है तो अगले उच्चतर रू. में पूर्णकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।

कुलपति के आदेशानुसार,

Shalini
20-8-2026
कुलसचिव
पटना विश्वविद्यालय, पटना।

ज्ञाप संख्या– एसी०/लेखा०/831 दिनांक–20-08-26

प्रतिलिपिः– (1) निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना (2) सभी संकायों के संकायाध्यक्ष, पटना (3) सभी स्नातकोत्तर विभागों के विभागाध्यक्ष, प० वि० वि० (4) सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य/प्राचार्या, प० वि० वि० (5) सभी संस्थाओं के निदशेक, प० वि० वि० (6) सभी पदाधिकारीगण, प० वि० वि० (7) सभी छात्रावासों के अधीक्षक, प० वि० वि० (8) मुख्य चिकित्सा पदा०, प० वि० वि० (9) प० वि० वि०, प० वि० वि० (10) पुस्तकाध्यक्ष, केन्द्रीय पुस्तकालय, प० वि० वि० (11) प्रेस अधीक्षक, प० वि० वि० (12) प्रशाखा पदा०, लेखा शाखा, प० वि० वि० (13) प्रशाखा पदा०, पेंशन शाखा, प० वि० वि० (14) प्रशाखा पदा०, स्थापना शाखा, प० वि० वि० (15) कुलपति के सचिव, प० वि० वि० (16) महासचिव, प० वि० वि० शिक्षक संघ (17) महासचिव, प० वि० वि० कर्मचारी संघ (18) महासचिव, प० वि० वि० कॉलेज कर्मवारी संघ (19) महासचिव, सेवा निवृत्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघ, प० वि० वि० (20) मुख्य प्रबंधक, इंडियन बैंक, पटना विश्वविद्याालय शाखा, अशोक राजपथ, पटना–5 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Shalini
20-8-2026
कुलसचिव
पटना विश्वविद्यालय, पटना।

Scanned with OKEN Scanner